न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 17/2014

1. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति रावत निवासी–क्रान्तिनगर, मसूदा रोड, ब्यावर तहसील–ब्यावर जिला– अजमेर।
2. श्री वीरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति रावत निवासी–क्रान्तिनगर, मसूदा रोड, ब्यावर तहसील–ब्यावर जिला– अजमेर।
3. श्री संग्रामसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति रावत निवासी–क्रान्तिनगर, मसूदा रोड, ब्यावर तहसील–ब्यावर जिला– अजमेर। ....**अपीलान्ट्स**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर

.... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री निर्मलकुमार, नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलार्थी0
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 31.01.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बलाड तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 1559 कुल रकबा 11–03–00 किस्म बारानी 03 सिवाय चक भूमि में से रकबा 09–10–00 बीघा पर पक्की दीवार व होद व पत्थर खडे कर कंटीले तार बांधकर कब्जा कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के प्रस्तुत जवाब में अपीलान्ट्स द्वारा कब्जा स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2014 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभ्य पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण के पूर्वजों के समय से, जब से ग्राम बसा हुआ है, तत्समय से निरन्तर कब्जा काश्त बिना किसी दखल व्यवधान के चला आया है। प्रश्नगत भूमि, अपीलार्थीगण की अन्य खातेदारी की भूमियों से लगती हुई भूमियॉ है, जिसमें पानी का होद व कमरे एवं चारदिवारी निर्मित है। अपीलार्थीगण के द्वारा भारी मेहनत एवं श्रम व राशि खर्च कर अपीलाधीन भूमि को कृषि उपयोगी बना कर काश्त की जा रही है, जो कि नियमन किये जाने योग्य है। उन्हौने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

किये बिना, अपीलार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे संबधी जांच एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2014 निरस्त किया जावें एवं अपीलाधीन भूमि अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमन किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2014 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर